प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

युगल पीठ : माननीय श्री सतीश के अग्नीहोत्री एवं

माननीय श्री प्रशान्त कुमार मिश्रा न्यायाधीश।

विविध अपील (प्रतिकर) क्रमांक 884/2007

विष्णु धीवर और अन्य

बनाम

रंजीत सिंह और अन्य

विचारण हेतु आदेश

सही/-

न्यायाधीश

दिनांक 23/02/2010

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

माननीय श्री सतीश के अग्नीहोत्री न्यायाधीश

मैं सहमत हूं ।

सही/-

श्री सतीश के अग्नीहोत्री

न्यायाधीश

दिनांक 23/02/2010

दिनांक 24/02/2010 को निर्णय हेतु सूचिबध्द करें।

सही/-

श्री प्रशान्त कुमार मिश्रा

न्यायाधीश

दिनांक 23/02/2010

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

युगल पीठ : माननीय श्री सतीश के अग्नीहोत्री एवं

माननीय श्री प्रशान्त कुमार मिश्रा न्यायाधीश।

विविध अपील (प्रतिकर) क्रमांक 884/2007

अपीलार्थीगण विष्णु धीवर और अन्य

बनाम

प्रत्यर्थीगण रंजीत सिंह और अन्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपस्थित : अधिवक्ता श्री अम्याकांत तिवारी अधिवक्ता, अपीलार्थीगण की ओर से

अधिवक्ता श्री हनुमान प्रसाद अग्रवाल प्रत्यर्थी क्रमांक 3 के लिए

प्रत्यर्थी क्रमांक 1 और 2 के लिए कोई नहीं ।

मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 173 के अन्तर्गत विविध अपील

आदेश

(दिनांक 24/02/2010 को पारित)

माननीय श्री प्रशान्त कुमार मिश्रा न्यायाधीश के द्वारा

1. अपीलार्थीगण द्वारा मोटर यान अधिनियम, 1988 (इसके बाद 'अधिनियम, 1988') की धारा 140 सहपठित धारा 166 के अंतर्गत एक दावा याचिका प्रस्तुत की गई थी, जिसमें रुपये 11,70,000/- के प्रतिकर का दावा किया गया

था, इस आधार पर कि मृतका कु. जमुना, मंदिर हसौद, रायपुर में स्थित मोनेट इस्पात लिमिटेड में मेसर्स बंजारी कंट्रैक्टर के यहां सड़क सफाई कर्मचारी के रूप में कार्यरत थी। दिनांक 30-12-2005 को लगभग 9:20 बजे प्रातः प्रत्यर्थी संख्या 01 ने एक ट्रक जिसका पंजीकरण संख्या सी.जी.04 जे 3052 है को उपेक्षापूर्वक एवं उतावलेपन पूर्वक चलाते हुए उक्त ट्रक को मृतका के उपर चढा दिया, जिसके कारण उसी स्थान पर मृतका की मृत्यु हो गई। उक्त जमुना की आयु मृत्यु के समय 19 वर्ष थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2. प्रत्यर्थी / बीमा कंपनी ने अधिनियम, 1988 की धारा 167 के अंतर्गत एक आवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें यह दर्शाया गया कि चूंकि वादियों ने पहले ही रुपये 2,33,168/- की राशि प्राप्त कर ली है, जिसे बीमा कंपनी द्वारा आयुक्त, कर्मकार प्रतिकर रायपुर (इसके बाद 'आयुक्त') के समक्ष जमा कराया गया था, इसलिए अधिनियम, 1988 की धारा 166 के अंतर्गत दावा याचिका पोषणीय योग्य नहीं है। प्रत्यर्थीयों ने कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 (इसके बाद 'अधिनियम, 1923') के प्रावधानों के अंतर्गत प्रतिकर प्रदान किए जाने हेतु कोई आवेदन प्रस्तुत किए जाने से इनकार किया और बीमा कंपनी द्वारा अधिनियम, 1988 की धारा 167 के अंतर्गत दायर आवेदन को खारिज करने की प्रार्थना की।

3. विदित हो कि रायपुर के विद्वान प्रथम अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (इसके बाद 'दावा अधिकरण') ने, दावा प्रकरण क्रमांक 15/06 में दिनांक 27-10-2006 के आक्षेपित आदेश द्वारा, बीमा कंपनी के आवेदन को स्वीकार करते हुए दावेदारों की दावा याचिका को पोषणीय योग्य नहीं होने के कारण खारिज कर दिया है।

4. इस अपील में निर्धारण हेतु उत्पन्न प्रश्न यह है कि क्या अपीलार्थीगण/वादियों ने आयुक्त के समक्ष प्रतिकर प्राप्त किया है और यदि उक्त प्रश्न का उत्तर सकारात्मक है, तो क्या अधिनियम, 1988 की धारा 166 के अंतर्गत दावा याचिका पोषणीय थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. अपीलार्थीगण ने आयुक्त द्वारा दिनांक 22-07-2006, 25-09-2006 और दिनांक 27-09-2006 को अभिलिखित किए गए आदेश पत्र प्रस्तुत किए हैं। इन आदेशों से यह प्रतिबिंबित होता है कि नियोक्ता द्वारा दिनांक 31-05-2006 को आयुक्त के पास प्रतिकर की राशि जमा कराई गई थी और इस राशि को निकालने के लिए वादियों ने दिनांक 15-06-2006 को एक आवेदन प्रस्तुत किया था, जिस पर वादियों के बयान दर्ज किए गए और दावा याचिका खारिज कर दी गई। बाद में, राशि के वितरण से पूर्व एक नोटिस जारी किया गया और दिनांक 25-09-2006 के आदेश पत्र में दर्ज है कि वादी आयुक्त के समक्ष उपस्थित हुए और उनके बयान उक्त तारीख को पुनः दर्ज किए गए

तत्पश्चात् दिनांक 27-09-2006 को वादियों को राशि का भुगतान किए जाने का आदेश दिया गया।

6. अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि अपीलार्थीगण / वादियों ने कभी भी अधिनियम, 1923 की धारा 10 के अंतर्गत कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया, अतः यह नहीं कहा जा सकता कि वादियों ने अधिनियम, 1923 के तहत कार्यवाही करने का विकल्प चुना। अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, दावा अधिकरण ने अधिनियम, 1988 की धारा 166 के अंतर्गत दावा याचिका का गलत तरीके से खारीज किया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. इसके विपरीत, प्रत्यर्थी संख्या 3 / बीमा कंपनी के विद्वान अधिवक्ता ने दावा अधिकरण द्वारा पारित आक्षेपित आदेश का समर्थन किया और तर्क दिया है कि अपीलार्थीगण / वादियों द्वारा आयुक्त के पास जमा राशि में से प्रतिकर की राशि प्राप्त कर लेने के कारण, अधिनियम 1988 की धारा 166 के अंतर्गत उनकी दावा याचिका पोषणीय नहीं है।

8. वर्तमान मामले में, बीमा कंपनी ने अधिनियम, 1988 की धारा 167 के अंतर्गत एक आवेदन प्रस्तुत किया था, जिसे निम्नानुसार उद्धृत किया जा रहा है:

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 167 मोटर यान संहिता

अनावेदक क्रमांक 3 दि न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लि. सविनय निम्नानुसार निवेदन करती है:-

1. यह कि आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत दावा अपनी पुत्री कु. जमुना उर्फ जमुना धीवर की दिनांक 30.12.05 को मोनेट इस्पात मंदिर हसौद में निशेजन के दौरान ट्रक वाहक क्रमांक सी.जी.–04-जं.3052 के यान स्वार्मा, चालक तथा वाहन क्रमांक सी जी -04 - जे 3052 की बीमा कंपनी के विरूध्द एक दावा माननीय अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया गया है ।

2. यह कि आवेदक द्वारा ही एक अन्य दावा आवेदन कमला धीवर एवं अन्य विरूध्द बंजारी कां॰ट्रेक्टर तथा मोनेट इस्पात एवं ओरियेंटल इंश्योरेंस कंपनी लि.के विरूध्द दिनांक 04.04.05 को श्रीमान आयुक्त कर्मकार प्रतिकर रायपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया था । जिसमें आवेदकगण द्वारा अपनी पुत्री कुमारी जामुन उर्फ जमुना की दिनांक 30.12.05 को हुई मृत्यु के कारण अनावेदक क्रमांक 1 बंजारी कां॰ट्रेक्टर तथा मुख्य नियोक्ता मोनेट इस्पात एवं ओरियेंटल इंश्योरेंस कंपनी लि.के विरूध्द एक दावा प्रस्तुत किया गया था । जिसमें ओरियेंटल इन्श्योरेंस कंपनी लि. द्वारा दिनांक 23.05.06 को 233168-/(दो लाख तैंतिस हजार एक सौ अडसठ) रूपये क्षतिपूर्ति की राशि माननीय आयुक्त कर्मकार प्रतिकर रायपुर के समक्ष जमा कर दिया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. यह कि अधिनियम के प्रावधानों के अर्न्तगत जहां किसी व्यक्ति की मृत्यु या शारीरिक क्षति से इस अधिनियम के अधीन तथा कर्मकार प्रतिकर अधिनियम 1923 के अधीन भी प्रतिकर का दावा उद्भूत होता वहां प्रतिकर पाने का हकदार व्यक्ति कर्मकार प्रतिकर अधिनियम 1923 में किसी बात के होते हुए भी ऐसे प्रतिकर के लिये, अध्याय 10 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, दावा उन दोनों के अधीन नहीं कर सकेगा ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. यह कि आवेदकगण द्वारा माननीय अधिकरण के समक्ष दावा प्रस्तुत करने के पश्चात् माननीय आयुक्त कर्मकार प्रतिकर रायपुर के समक्ष अपनी पुत्री जमुनाबाई उर्फ जामुन की मृत्यु के संबंध में दावा प्रस्तुत किया गया है, एवं ठेकेदार बंजारी कांट्रेक्टर की बीमा कंपनी ओरियेंटल इन्श्योरेंस कंपनी लि. द्वारा दिनांक 23.05.06 को 233166/- (दो लाख तैंतीस हजार एक सौ अडसठ) रूपये क्षतिपूर्ति की राशि माननीय आयुक्त कर्मकार प्रतिकर रायपुर के समक्ष जमा कर दिया गया है ।

5. यह कि उपरोक्तानुसार क्षतिपूर्ति की प्राप्ति के पश्चात माननीय अधिकरण के समक्ष लंबित आवेदन के गुणदोष के आधार पर निराकरण का कोई औचित्य नहीं रह जाता अत: आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत दावा जो कि माननीय अधिकरण के समक्ष लंबित है निरस्त किये जाने योग्य है।

अत: न्यायहित में आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत दावा उक्त आधारों पर निरस्त किया जाकर अनावेदक क्रमांक 3 को उन्मुक्त किये जाने का आदेश पारित करने का कष्ट करें।

दिनांक :- 5.7.06

रायपुर *अनावेदक क्रमांक 3*

हस्ताक्षर

अधिवक्ता वास्ते अनावेदक क्रमांक 3

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. नेशनल इंश्योरेंस कं. लि. बनाम मस्तान एवं एक अन्य, (2006) 2 एस.सी.सी. 641 में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित रूप से अभिनिर्धारित किया है:

<u>माननीय न्यायमूर्ति एस.बी. सिन्हा द्वारा :</u>

22. 1988 अधिनियम की धारा 167 दावेदार के लिए एक विकल्प का वैधानिक प्रावधान करती है। यह कहती है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु या शारीरिक चोट, 1988 अधिनियम के साथ-साथ 1923 अधिनियम के तहत भी प्रतिकर के दावे का आधार बनती है, तो प्रतिकर का हकदार व्यक्ति, अध्याय X के प्रावधानों से प्रभावित हुए बिना, उक्त किसी एक अधिनियम के तहत ऐसा प्रतिकर दावा कर

सकता है, लेकिन दोनों के तहत नहीं। धारा 167 में एक अविभावी खंड शामिल है जो 1923 अधिनियम में निहित किसी भी बात के होते हुए भी ऐसे विकल्प का प्रावधान करता है।

23. "विबंध के नियम" की एक शाखा "निर्वाचन का सिद्धांत" है, जिसके अंतर्गत किसी व्यक्ति को उसके कार्य, आचरण या चुप्पी (जब उसके बोलने का कर्तव्य हो) के आधार पर ऐसे अधिकार का दावा करने से रोका जा सकता है, जो अन्यथा उसे प्राप्त होता। निर्वाचन का सिद्धांत यह मानता है कि जब एक ही अनुतोष के लिए दो उपचार उपलब्ध हों, तो पीड़ित पक्ष के पास उनमें से किसी एक को चुनने का विकल्प होता है, लेकिन दोनों को नहीं। हालांकि इसी नियम के कुछ अपवाद हैं, लेकिन उनका वर्तमान मामले में कोई प्रयोग नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

24. नागुबाई अम्मल बनाम बी. शर्मा राव, 1956 एस.सी.आर. 451: ए.आई.आर. 1956 एस.सी. 593 में कहा गया था: (एस.सी.आर. पृ. 470) "उपरोक्त विचारों से यह स्पष्ट है कि यह सिद्धांत कि कोई व्यक्ति 'अनुमोदन और अस्वीकरण' एक साथ नहीं कर सकता, का प्रयोग केवल एक ही लेन-देन के संबंध में दी गई अनुतोषों तथा उसके पक्षकारों तक ही सीमित होना चाहिए।"

25. सी. बीपथुम्मा बनाम वेलासरी शंकरनारायण कदंबोलिताया, (1964) 5 एस.सी.आर. 836 : ए.आई.आर. 1965 एस.सी. 241 में कहा गया था (एस.सी.आर. पृ. 850):

"इस मामले में जिस निर्वाचन के सिद्धांत को लागू किया गया है वह सुस्थापित है और इसे मैटलैंड के शास्त्रीय शब्दों में इस प्रकार कहा जा सकता है -

'वह व्यक्ति जो किसी दस्तावेज़ या वसीयतनामा या अन्य लिखत के तहत लाभ स्वीकार करता है, उसे उस लिखत की समस्त सामग्री को अपनाना होगा, उसके सभी प्रावधानों का पालन करना होगा और उन सभी अधिकारों का त्याग करना होगा जो उसके असंगत हैं।'

(मैटलैंड्स लेक्चर्स ऑन इक्विटी, लेक्चर 18 देखें) यही सिद्धांत व्हाइट एंड ट्यूडर की लीडिंग केसेज इन इक्विटी, खंड 1, 18वें संस्करण के पृष्ठ 444 पर इस प्रकार वर्णित है:"

"'निर्वाचन समता न्यायालयों द्वारा किसी पक्ष पर लगाया गया वह दायित्व है जिसके तहत उसे दो सुसंगत या वैकल्पिक अधिकारों या दावों के बीच चयन करना होता है, ऐसे मामले में जहाँ उस व्यक्ति की स्पष्ट मंशा हो, जिससे उसे एक अधिकार प्राप्त होता है, कि उसे दोनों का लाभ नहीं मिलना चाहिए... यह कि वह व्यक्ति जो किसी दस्तावेज़ या

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

वसीयतनामे के तहत लाभ स्वीकार करता है, उसे उस लिखत की सम्पूर्ण सामग्री को अपनाना होगा।'"

(प्रशांत रामचंद्र देशपांडे बनाम मारुति बलाराम हाबट्टी, 1995 सप्ली. (2) एस.सी.सी. 539 भी देखें।)

26. न्यायमूर्ति थॉमस ने पी.आर. देशपांडे बनाम मारुति बलाराम हाबट्टी, (1998) 6 एस.सी.सी. 507 में विधि को इस प्रकार व्यक्त किया: (एस.सी.सी. पृ. 511, पैरा 8)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"8. निर्वाचन का सिद्धांत विबंध के नियम पर आधारित है - यह सिद्धांत कि कोई व्यक्ति अनुमोदन और अस्वीकरण एक साथ नहीं कर सकता, इसमें निहित है। निर्वाचन द्वारा विबंध का सिद्धांत, विबंध के प्रकारों (या समता अनुताप) में से एक है जो समता का एक नियम है। इस नियम के द्वारा, किसी व्यक्ति को उसके कार्य या आचरण या चुप्पी (जब उसके बोलने का कर्तव्य हो) के आधार पर उस अधिकार का दावा करने से रोका जा सकता है जो अन्यथा उसे प्राप्त होता।"

(देवसहायम बनाम पी. सावित्रम्मा, (2005) 7 एस.सी.सी. 653 भी देखें।)

27. प्रथम प्रत्यर्थी ने अपने नियोक्ता के विरुद्ध प्रतिकर प्राप्त करने के उद्देश्य से 1923 अधिनियम के तहत फोरम चुना है, अब वह 1988 अधिनियम के प्रावधानों पर वापस नहीं लौट सकता, क्योंकि दोनों अधिनियमों के तहत निर्धारित प्रक्रियाएं भिन्न हैं, सिवाय उन मामलों के जो धारा 143 के दायरे में आते हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

माननीय पी.के. बालासुब्रमण्यन, न्यायाधीश. के अनुसार:

33. मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 165 के तहत एक दावा अधिकरण के गठन पर, मोटर दुर्घटना के पीड़ित को उस अधिनियम की धारा 166 के तहत उस अधिकरण के समक्ष प्रतिकर के लिए आवेदन करने का अधिकार है। मोटर दुर्घटना से उत्पन्न प्रतिकर के दावों के लिए अधिकरण के गठन पर, उस अधिनियम की धारा 175 द्वारा सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार को समाप्त कर दिया जाता है। अधिकरण के गठन तक, दावों को टॉर्ट (अपकृत्य) के दावे के रूप में सिविल न्यायालय के माध्यम से प्रवर्तित करना पड़ता था। मोटर

दुर्घटना दावा अधिकरण के अनन्य क्षेत्राधिकार क्षेत्र को मोटर यान अधिनियम की धारा 167 द्वारा ऐसे मामले में छीन लिया जाता है, जब दावा कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 के तहत भी आ सकता है। यह धारा प्रावधान करती है कि मोटर दुर्घटना से उत्पन्न मृत्यु या शारीरिक चोट, जिसके लिए कर्मकार प्रतिकर अधिनियम के तहत भी प्रतिकर का दावा किया जा सकता है, उस अधिनियम के तहत प्राधिकारियों के माध्यम से प्रवर्तित किया जा सकता है, इस संबंध में विकल्प पीड़ित या उसके प्रतिनिधि के पास होता है। लेकिन धारा 167 यह स्पष्ट करती है कि दोनों अधिनियमों के तहत दावा नहीं किया जा सकता। दूसरे शब्दों में, एक दावेदार जो मोटर वाहन दुर्घटना के कारण मोटर यान अधिनियम, 1988 और कर्मकार प्रतिकर अधिनियम दोनों के तहत प्रतिकर का दावा करने का हकदार हो जाता है, उसके पास संबंधित फोरम के समक्ष दोनों अधिनियमों में से किसी एक के तहत अग्रीम कार्यवाही करने का विकल्प होता है। दावे को किसी एक अधिनियम के तहत प्राधिकार या अधिकरण तक सीमित करके, विधायिका ने उपचारों के निर्वाचन का पहलू शामिल किया है, जहाँ तक दावेदार का संबंध है। दूसरे शब्दों में, उसे यह निर्वाचन करना होता है कि वह मोटर यान अधिनियम, 1988 के तहत दावा करेगा या

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 के तहत। धारा में इस बात पर जोर कि दोनों विधानों के तहत दावा नहीं किया जा सकता, प्रतिकर मांगने की योजना में शामिल निर्वाचन के सिद्धांत का एक और पुनरुक्ति है। यह सिद्धांत कि "जहाँ किसी वादी के लिए दो वैकल्पिक अधिकरणों में से कोई भी खुला हो, प्रत्येक का विवादित मामलों पर क्षेत्राधिकार हो, और वह अपने अनुतोष हेतु दोनो में से किसी एक अधिकरण का सहारा लेता है, वह अपने प्रतिद्वंद्वी के विरुद्ध बाद में दूसरे अधिकरण का सहारा लेने से वंचित हो जाता है" (आर. बनाम इवांस, (1854) 3 ई. एंड बी. 363 : 118 ई.आर. 1178 देखें) पूर्ण रूप से मोटर यान अधिनियम की धारा 167 की योजना में शामिल है, जो उस दावेदार को, जिसने कर्मकार प्रतिकर अधिनियम का सहारा लिया है, उसे मोटर यान अधिनियम के प्रावधानों का सहारा लेने से रोकता है, सिवाय उस सीमित सीमा के जिसकी इसमें अनुमति है। दावेदार ने कर्मकार प्रतिकर अधिनियम का सहारा लेकर, केवल मोटर यान अधिनियम की धारा 167 में मान्य अपवाद के अधीन, स्वयं को उस अधिनियम के प्रावधानों द्वारा नियंत्रित कर लिया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

34. मोटर यान अधिनियम की धारा 167 के भाषा के आधार पर, और अनुतोषों के निर्वाचन के सिद्धांत को मानते हुए, कर्मकार प्रतिकर अधिनियम के तहत अग्रीम कार्यवाही का विकल्प चुनने वाला दावेदार, मोटर यान अधिनियम, 1988 के किसी भी प्रावधान से सहारा या प्रेरणा नहीं ले सकता है, सिवाय उसके जिसे अधिनियम की धारा 167 द्वारा विशेष रूप से सुरक्षित रखा गया है। अधिनियम की धारा 167 कर्मकार प्रतिकर अधिनियम के तहत दावा करने वाले दावेदार को भी मोटर यान अधिनियम, 1988 के अध्याय 10 के प्रावधानों को आमंत्रित करने का अधिकार देती है।मोटर यान अधिनियम, 1988 का अध्याय 10 उस परिदृश्य से संबंधित है जिसे दुर्घटना के मामले में "दोषारहित दायित्व" के रूप में जाना जाता है। मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 140 वाहन के मालिक पर वहां निर्धारित प्रतिकर चुकाने का दायित्व अधिरोपित करती है, भले ही वाहन के चालक या मालिक के खिलाफ कोई दोष सिद्ध न हो। धारा 141 और 142 दोष-सिद्धि रहित दायित्व के आधार पर विशिष्ट दावों से संबंधित हैं और धारा 143 इस बात पर पुनः बल देती है जिसे अधिनियम की धारा 167 द्वारा रेखांकित किया गया है - कि मोटर यान अधिनियम, 1988 के अध्याय 10 के प्रावधान तब भी लागू होंगे जब दावा कर्मकार प्रतिकर अधिनियम के तहत किया गया

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

हो। अधिनियम की धारा 144 मोटर यान अधिनियम, 1988 के अध्याय 10 के प्रावधानों को एक अध्यारोही प्रभाव प्रदान करती है।

35. वर्तमान मामले के तथ्यों पर आते हुए, वादी ने अपने दावे को मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के समक्ष रखने के उद्देश्य से कर्मकार प्रतिकर अधिनियम के तहत दावे को निर्णय की स्थिति में पहुँचने से पूर्व वापस लेने का विकल्प नहीं चुना। उसने जो किया वह यह है कि उसने कर्मकार प्रतिकर अधिनियम के तहत अपने दावे का तब तक अनुसरण किया जब तक कि अधिनियम के तहत अधिनिर्णय पारित नहीं हो गया, और साथ ही मोटर यान अधिनियम की एक ऐसी धारा को भी आमंत्रित किया जिसे मोटर यान अधिनियम की धारा 167 द्वारा कर्मकार प्रतिकर अधिनियम के तहत दावों पर लागू नहीं किया गया है। प्रत्यर्थी वादी ऐसा करने का हकदार नहीं है। उच्च न्यायालय द्वारा यह मानना कि वह ऐसा करने का हकदार है, त्रुटिपूर्ण था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अपीलार्थीगण/वादियों ने अधिनियम, 1923 के तहत कार्यवाही नहीं की है और अधिनियम, 1988 की धारा 166 के तहत दावा याचिका दिनांक 31-01-2006 को दायर की गई थी,

जो बीमा कंपनी द्वारा आयुक्त के समक्ष जमा राशि को निकालने हेतु उनके द्वारा आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत आवेदन से लगभग छह माह पूर्व की है। इस प्रकार, उन्होंने अधिनियम, 1988 के तहत अग्रीम कार्यवाही करने का विकल्प चुना है, न कि अधिनियम, 1923 के तहत। उन्होंने बॉम्बे उच्च न्यायालय के युगल पीठ के निर्णय ***शांताबाई परशुराम मूले एवं अन्य बनाम शारदा प्रसाद सिंह एवं अन्य, 1992 ऐ.सी.जे. 270*** का अवलंबन लेते हुए यह तर्क किया कि नियोक्ता द्वारा आयुक्त के समक्ष जमा राशि की मात्र स्वीकृति, अधिनियम, 1923 के तहत दावा उठाने के समान नहीं है। अपने तर्क के समर्थन में, उन्होंने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के युगल पीठ के एक अन्य निर्णय ***के.के. जैन एवं अन्य बनाम मसरूर अनवर एवं अन्य, 1990 ऐ.सी.जे. 299*** तथा केरल उच्च न्यायालय के युगल पीठ के निर्णय ***न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम पेन्नाम्मा कुरियन, 1995 ऐ.सी.जे. 760*** का भी अवलंबन लिया ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. ***के.के. जैन एवं अन्य बनाम मसरूर अनवर एवं अन्य (उपरोक्त)*** में, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया था कि चूंकि आयुक्त के समक्ष दावा त्याग दिया गया था और नियोक्ता द्वारा जमा राशि को न निकालकर उसका अनुसरण नहीं किया गया था, इसलिए अधिनियम, 1988 के तहत दावा

याचिका बनाए रखने योग्य है। ***न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम पेन्नाम्मा कुरियन (उपरोक्त)*** में केरल उच्च न्यायालय के समक्ष, वादियों ने अधिनियम, 1988 के तहत दोष रहित दायित्व के अंतर्गत राशि प्राप्त की थी और तत्पश्चात् अधिनियम, 1923 के तहत प्रतिकर का दावा किया था। अतः ये दोनों ही मामले वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होते। हमारे समक्ष प्रस्तुत मामले में, वादियों ने नियोक्ता द्वारा आयुक्त के समक्ष जमा राशि को निकाल लिया है। बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा ***शांताबाई परशुराम मूले एवं अन्य बनाम शारदा प्रसाद सिंह एवं अन्य (उपरोक्त)*** में दिया गया निर्णय वादियों के लिए कुछ सहायक हो सकता है, जिसमें यह माना गया था कि वादियों द्वारा अधिनियम, 1923 के प्रावधानों के तहत गठित प्राधिकारी के समक्ष नियोक्ता द्वारा जमा राशि के भुगतान हेतु मात्र एक आवेदन दाखिल करना, अधिनियम, 1923 की धारा 3 की उप-धारा (5) के अर्थ के तहत दायर किया गया दावा कभी नहीं माना जा सकता और इसलिए वादियों का ऐसा कार्य उन्हें प्रतिकर का दावा करने हेतु अधिनियम, 1988 के प्रावधानों के तहत अग्रीम कार्यवाही करने से वंचित नहीं करेगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. ***नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम मस्तान एवं अन्य (उपरोक्त)*** में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन के सिद्धांत पर विचार किया है और

यह अभिनिर्धारित किया है कि जब एक ही अनुतोष के लिए दो उपचार उपलब्ध हों, तो पीड़ित पक्ष के पास उनमें से किसी एक को चुनने का विकल्प होता है, किंतु दोनों को नहीं।

13. ***नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम मस्तान एवं अन्य (उपरोक्त)*** के कण्डिका 27 (माननीय एस.बी. सिन्हा, जे. के अनुसार) और कण्डिका 35 (माननीय पी.के. बालासुब्रमण्यन, न्यायाधीश. के अनुसार) में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि एक बार जब प्रत्यर्थी/वादी ने अधिनियम, 1923 के तहत प्रतिकर "प्राप्त करने" के उद्देश्य से फोरम चुन लिया है और प्रत्यर्थी/वादी ने मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के समक्ष रखने के दृष्टिकोण से निर्णय की स्थिति में पहुँचने से पूर्व अधिनियम, 1923 के तहत अपना दावा वापस लेने का विकल्प नहीं चुना, बल्कि उसने अधिनियम, 1988 के तहत अनुसरण किया, तो प्रत्यर्थी/वादी ऐसा करने का हकदार नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. वर्तमान मामले में भी, जब नियोक्ता ने आयुक्त के पास राशि जमा कराई, तो वादियों ने आयुक्त के पास नियोक्ता द्वारा जमा राशि को निकालने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया, भले ही दावा अधिकरण के समक्ष अधिनियम, 1988 की धारा 166 के तहत उनकी दावा याचिका लंबित थी। नियोक्ता द्वारा आयुक्त के

पास जमा प्रतिकर की राशि को स्वीकार करके, वादियों ने, यद्यपि अधिनियम, 1988 के तहत एक दावा प्रारंभ किया था, उक्त दावे को अधिनियम, 1988 के तहत त्याग दिया समझा जाएगा और बाद में अधिनियम, 1923 के तहत प्रतिकर प्राप्त करने का मार्ग अपनाया। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम मस्तान एवं अन्य (उपरोक्त) के प्रकाश में, हम अपीलार्थीगण/वादियों द्वारा संदर्भित बॉम्बे उच्च न्यायालय के निर्णय शांताबाई परशुराम मूले एवं अन्य बनाम शारदा प्रसाद सिंह एवं अन्य (उपरोक्त) को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। वर्तमान मामले में अपीलकर्ता/वादी, नियोक्ता द्वारा आयुक्त के पास जमा राशि को स्वीकार करने से इनकार कर सकते थे, यदि उनका आशय अधिनियम, 1988 के तहत अपने दावे का अनुसरण करने का होता। ऐसा नहीं करने तथा अधिनियम, 1923 के तहत प्रतिकर की राशि प्राप्त करने के पश्चात, अधिनियम, 1988 की धारा 167 में निहित प्रतिबंध लागू होता है और इस प्रकार दावा अधिकरण द्वारा पारित आक्षेपित आदेश किसी दोष से ग्रस्त नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. परिणामस्वरूप, वर्तमान विविध अपील, जो किसी भी सारतत्व से रहित है, निरस्त किए जाने योग्य है और तदनुसार निरस्त किया जाता है।

16. व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं किया जा रहा है।

सही/-
श्री सतीश के अग्नीहोत्री
न्यायाधीश

सही/-
श्री प्रशान्त कुमार मिश्रा
न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By Yashpal Singh